

11
12
13

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर 332

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प 2074/2077

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुस्स्ती" प्रार्थना पत्र एवं पदवारी 2074/2077 व भू.अ.नि. 2074/2077 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार 332 /नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की जमानन्दी सम्बन्ध 2074-2077 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	देवलर	68	पिंकी देवी पत्नी जयपाल सिंह	पिंकी देवी पत्नी जयपाल सिंह
		86	सुरेन्द्र कुमार अठना(1)न	सुरेन्द्र सिंह कुमार अठना(1)न
		88, 89	सुभाष कुमार अठना(1)न	सुभाष चंद्र कुमार अठना(1)न

प्रमाणित किया जाता है कि
पीठासीन अधिकारी एवं
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :- 30/5/22

क्रमांक :- 70

प्रवृत्ति :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पासना रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्रार्थी श्री को सूचनाय।

3. रचित पत्रावली।

प्रमाणित किया जाता है कि
पीठासीन अधिकारी एवं
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर